छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
**महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक एफ 3-74/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक /02/2016

प्रति,

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
चिप्स, रायपुर

विषयः— प्रदेश के महाविद्यालयों को वाई—फाई करने के संबंध में।

---0---

दिनांक 06.02.2016 को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान माननीय मंत्रीजी के समक्ष आपके द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करने का कष्ट करे। तद्नुसार एवं पूर्व में माननीय मुख्यमंत्रीजी से प्राप्त निर्देशानुसार प्रथम चरण में 50 महाविद्यालयों में वाई—फाई सुविधा चिप्स के माध्यम से किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कार्य हेतु होने वाले व्यय का भुगतान सूचना प्रौद्योगिकी मद में एवं अन्य मद में उपलब्ध राशि से किया जावेगा, जो पृथक से चिप्स को हस्तांतरित किया जा रहा है। वाई—फाई करने के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करें:—

1. यह सुझाव है कि कुछ महाविद्यालयों के द्वारा वाई—फाई सुविधा पूर्व से ही कर ली है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी प्रकार का डुप्लीकेशन न हों।
2. वाई—फाई सुविधा हेतु प्रत्येक महाविद्यालय अपने स्तर पर 04 लाख रूपये के अंतर्गत ही राशि व्यय किया जावेगा, इससे अधिक की राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
3. वाई—फाई सुविधा प्रारंभ करने के साथ ही इसका रख—रखाव एवं भविष्य में भी इसके संचालन के संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे।
4. वाई—फाई सुविधा के अंतर्गत यथा—योग्य अवांछित वेबसाईट को महाविद्यालय एवं छात्रों के हित में ब्लॉक करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3-74/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक25/02/2016

प्रतिलिपि :—

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया—रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया—रायपुर।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया—रायपुर।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया—रायपुर।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग